


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::


संख्या-7/स्था01-9-17/05 सा0प्र0. 3239/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना-15, दिनांक 02-3-20
के पत्रांक-9212 दिनांक 10.02.2020 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में सुश्री उर्मिलजीत कौर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा को विधि विभाग, बिहार, पटना में संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी के पद पर पदस्थापित किया जाता है तथा उनकी सेवायें विधि विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



12-3-2020
(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-17/05 सा0प्र0. 3239/पटना-15, दिनांक 02-3-20
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-17/05 सा0प्र0. 3239/पटना-15, दिनांक 02-3-20
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-9212 दिनांक 10.02.2020 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा/सुश्री उर्मिलजीत कौर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

निबंधित